न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 76 / 2015
दायर दिनांक : 31.07.2015

उनवान

1. भवानी लाल पिता जमनालाल मीणा निवासी शक्ताजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. फौरू पिता नन्दा भील निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. नाथी पुत्री नन्दा भील निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. मांग्या पिता बरदा भील निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. राज्यिा पिता बरदा भील निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र कुमार पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 01.03.2021

पत्रावली पेश है। वकील उभयपक्ष उपस्थित है। संक्षिप्त मे मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी भवानीलाल पुत्र जमनालाल मीना नि0 शक्ताजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत पेश हुआ कि ग्राम जस्सुजीकाखेड़ा में स्थित आराजी न. 454 रकबा 3.19 बीघा, आराजी न. 455 रकबा 2.17 बीघा आराजी न. 456 रकबा 7.12 बीघा, आराजी न. 459 रकबा 0.5 बीघा किता 4 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा खातेदार नन्दा पुत्र बरदा भील के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड थी। जो नन्दा की मृत्यु होन पर बाली बेवा नंदा के नाम दर्ज हुई व बाली की मृत्यु होने के बाद विरासत के नामांतरण स0 288 दिनांक 4.12.2008 से अप्रार्थी स01 फोरू पिता नंदा भील के नाम दर्ज हुई जो फोरू के कब्जे काश्त चली आ रही थी। फोरू खातेदार होने से दिनांक 1.8.14 मे विक्रय कर दिया एवं दिनांक 5.8.14 को उपपंजीयक कार्यालय मे विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया। तब से प्रार्थी खातेदारी हक मे काबिज हो काश्त कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने एक वाद पत्र न्यायलय हाजा मे दिनांक 9.10.14 को पेश किया जिसमे प्रकरण संख्या 168 / 2014 कायम किये वादपत्र धारा 88–188 आर.टी.ए का 1.6.15 तक विचारधीन था दिनांक 19.1.15 को प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र 1–10 सी.पीसी का पेश किया जो लम्बित था कि दिनांक 1.6.15 को अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर वादपत्र विड्राल की स्वीकृति चाही न्यायालय द्वारा वादपत्र ड्राप कर निर्णत कर दिया गया। विपक्षी संख्या 2 ने एक अपील नामांत[illegible] 153 / 2015 दिनांक 1.6.15 को प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में [illegible] नामांतरण संख्या 288 दिनांक 4.2.2008 को निरस्त कराने का पेश किया जो न्यायालय [illegible] नांमातकरण संख्या 288 को खारीज कर दिया गया। प्रार्थी [illegible] मे वर्तमान में भी वैध विकय पत्र के आधार पर विवादित भुमि पर भुमि पर खातेदार [illegible]षित किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा कय की गई भूमि का जो विकय पत्र दिनांक 1.8204 से कय की गई है जो वैध विकय पत्र है विकय पत्र किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया है नही चुनौती दी गई है तथा कथित अजिवा दिनांक 1.6.2015 प्रार्थी के मुकाबले पाठित अहजवा न हो कर प्रार्थी पर प्रभावी नही है सुविधा का सनुलन प्रार्थी के पक्ष में ही कब्जा विकय पत्र अनुभार समलाया है जे आज भी प्रार्थी के पास ही रिकार्ड व मौके की यथानिर्धारित बनाये रखने आदेश दिलावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Cha
Date: 2021.03.04 17:05:54 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

प्रार्थना पत्र के नोटिस पर अप्रार्थी संख्या 2 मु0 नाथी पुत्री नन्दा भील का जवाब प्रस्तुत हुआ जिसमे चरण संख्या 1 को आंशिक स्वीकार करे अंकि किया है कि खातेदार नन्दा भील की मृत्यु 1978 मे हुई उसकी मृत्यु के बाद वीरासत से मृतक की बेवा बाली के नाम भुमि दर्ज की गई। फोरू नाम का नन्दा के पुत्र नही था नही फोरू को गोद रखा है बाली व नन्दा के नुतके से मात्र एक पुत्रि नाथी हुइ जो बाली की मृत्यु के बाद पुरूष सन्तान नही होने से पुत्री नाथी हकदार वारीस है। जिसने फोरू द्वारा विक्रय भुमि का विक्रय अवैध एवं शुन्य है कोई कानुनी प्रभाव नही है।

2 चरण संख्या 2 के अस्वीकार किया है विक्रय पत्र का कानुनी महत्व नही है प्रभाव शुन्य है।

3 चरण संख्या 3 अस्वीकार किया है फोरू जो कि मांग्या पुत्र बरदा भील का पुत्र है उसे नन्दा पुत्र बरदा भील का पुत्र बनकर बाली विधवा नन्दा भील की खातेदारी भुमि अपने नाम कराने का अधिकार नही है नाथी को वादपत्र उठाने का अधिकार था। वादपत्र के किसी भी व्यक्ति द्वारा पक्षकार बनने का आवेदन नही किया था।

4 यह चरण अस्वीकार किया है भुमि फोरू मांग्या भील के नाम विधि के परिपेक्ष में जो भुमि दर्ज करवाई वह खातेदारी समाप्त की जाकर वादग्रस्त जायदाद की नाथी पुत्रि नन्दा भील के खातेदारी प्रदान किया जाना कानुन सम्मत है।

5 यह चरण स्वीकार नही किया है विधि विरूध दस्तावेज के आधार पर भुमि विक्रय करना कब्जा प्रस्तुत करना अवैध है।

6 यह चरण अस्वीकार किया है राजस्व अभियान 2008 के दौरान फोरू की खातेदारी समाप्त की जाकर नाथी को जो खातेदारी प्रदान की गई वह वैध है।

7 चरण अस्वीकार कर किसी वैध खातेदार के पीठ पिछे गलत तथ्यो का प्रकटीकरण अवैध रूप से विधि विरूध कार्यवाही करवा खातेदारी प्राप्त करले। गैर कानुनी तरीके से प्राप्त खातेदारी के आधार पर वैध कब्जेधारी व खातेदारी को उसके कृषि भुमि के उपयोग से वंचित नही किया जा सकता न्यायालय से किसी प्रकार की घोषण अथवा स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्त करे इसकी अनुमति कानुन नही देता है।

8 चरण संख्या 8 व 9 अस्वीकार किया है जो उक्त वर्णित तथ्यो अनुरूप भुमि हडपने की कार्यवाही फोरू द्वारा की जो अनुचित है।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रार्थी द्वारा भुमि खातेदार फोरू भील ने प्रतिफल रकम दी जाकर जरिये पंजीकृत दस्तावेज से क्रय की गई है जो सदभावी केता की श्रेणी मे आता है प्रार्थी द्वारा भुमि क्रय की है विकेता द्वारा भूमि वीरासत मे प्राप्त करने का वाद पृथक से जेरकार है। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली में संलग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति इस प्रकार है कि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना स्वभाविक है। जिससे मामलें में सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रकट होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम जस्सुजी का खेड़ा की आराजी संख्या 454,455,456 एवं 459 कुल किता 4 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा की मौका एवं रिकार्ड में यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सूमार होकर नम्बर से खारिज किया जाकर मूल पत्रावली के साथ संग्रह रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah C
Date: 2021.03.04 17:05:54
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया है।

3/3/21

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़